

बनारस न्यायाधीश आदेश SDO F/11/10

न्यायालय उपविभागाधिकारी/अतिरिक्तलेड तहसील- फ़ोहपुर, बाराकोटी।
आदेश संख्या १ /2010

ग्राम- उमरतंडा, परगना -
हुर्ता, तहसील- फ़ोहपुर
जिला - बाराकोटी।

राजिद को बनाम जग्गू लकावर
घाटा 143 पत्राधिकारी स्वं भूमि 800अधि
आदेश

प्रसन्नगत घाट में घाटी ने गाटा संख्या 1125/0-240हे0 व गाटा संख्या 1139/
0-575हे0 कुल दो बिता 0-815हे0 मा0गु0 38-50पैता जो उल्ले नाम सं० 1417-1422
प0 को खाती के खाता संख्या 397पर संकलीप भूमिधर दर्ज हे। पर हूथि कार्य ते अन्य
कार्य हेतु अर्थात औपोगिक के घोषित करने का शर्षयत्र के साथ ————— अनुसोध
किया गया हे, घाटी के अधिकारता द्वारा बहत में कहा गया किखित 10 वर्षों ते उक्त
भूमि पर हूथि कार्य नहीं हो रहा हे। उक्त भूमि को औपोगिक/बाणिज्यक घोषित कर
लेना चाहता हूं। पत्रावलो का अयतोकन किया गया। उक्त खाती में घाटी का
नाम उक्त गाटा संख्या पर दर्ज हे।

उक्त प्रार्थना-पत्र को जांच तहसीलदार फ़ोहपुर ले कराया गया। तहसीलदार
फ़ोहपुर द्वारा उक्त केवल/गाटे को औपोगिक घोषित किये जाने को आख्या निगत
प्रारथ पर, सध आख्या संस्तुति तहित प्रेषित की गयी हे। तहसीलदार फ़ोहपुर द्वारा
अपनी आख्या में कोई प्रतिकूल आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी हे। इतलिर गैर हूथि,
आपौगिक घोषित किये जाने में कोई सिधियु अड्यन नहीं हे।

आतः मैं राम चन्द्र लखौ उपविभागाधिकारी /अतिरिक्तलेड फ़ोहपुर, बाराकोटी
ग्राम उमरतंडा को गाटा संख्या 1139 व 1125 को घाटी के प्रार्थना-पत्र स्वं शर्षयत्र
तथा खाती को खान में लेते हुए औपोगिक के घोषित करता हूं। आदेश को प्रति
उपनिर्बंध फ़ोहपुर व तहसीलदार फ़ोहपुर को भेजी जाये। बाट आखरक कार्यवाही
पत्रावलो तथित अभिलेखानगर हो।

दिनांक 01/11-2010

रामचन्द्र लखौ
उपविभागाधिकारी/अतिरिक्तलेड फ़ोहपुर
बाराकोटी।
01-11-10



2=7100
03/11/10

जल कुपले परम्पला नखर 27/11/10
लीक देवती 03/11/10
गदर को को 2=7100
गदर को 170

झारखण्ड जल संरक्षण सोसायटी SOA दिनांक 26.06.23



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : फतेहपुर
वाद संख्या :- 4768/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202241248034768
माया आनन्द आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद संख्या 153 (वर्ष 2023)

अन्तर्गत धारा 80(2) उपरो राजस्व संहिता, 2006 नियमावली-2018
ग्राम- अमरसन्धा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला-बाराबंकी।
उत्तर प्रदेश सरकार

माया आनन्द आदि

बनाम
निर्णय



प्रस्तुत वाद धारा-80 उपरो राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1069 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द उर्फ मायावती देवी पत्नी बी0एस0 गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोशल फाउन्डेशन सक्षिप्त में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आनलाइन आवेदन पत्र पर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 26.06.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.759 हे० स्थित ग्राम अमरसन्धा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर, दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सन्बन्ध में तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 26-06-2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अन्वय पर वादी के नाम खतीनी फ० न० 1429-1434 की खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123/0.759 हे० को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदाघोषना निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है-

1- धारा-80 (2) उपरो राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है-

क्रमांक का नाम	भूमिधर का नाम पता का नाम व स्थान	खतीनी खाता संख्या	गाटा का क्षेत्रफल हे० में	खतनू खती सं० में	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे० में	क्षेत्रफल हे० में	क्षेत्रफल हे० में	क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
अमरसन्धा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर	अनिल सिन्हा जी. 10/1069 बी विकासनगर लखनऊ 2022	00072	0.759	18.75	1123	0.759	0.759	खतान संख्या EQ 14 दिनांक 26.06.2023 उदाघोषना शुल्क ₹ 54700-00 व ई-स्टाम संख्या RD 0002013118 दिनांक 26.06.2023 न्यायशुल्क ₹ 54700.00	

CANCELLED

CANCELLED

3 = 70/10
01-07-23

R-8' धारा 80
H. B. 1

Sachin

पृष्ठ संख्या :

- 2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।
- 3-वादीजन द्वारा आवेदित रकबा 0.7598 हे० अकृषिक प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।
- 4-उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85 (2) के अर्न्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू० 54700-00 बालान संख्या FQ 14 दिनांक 28.06.2023 व न्याय शुल्क के रूप में रुपया 54700/- ई स्टाम्प संख्या RD 0002013118 दिनांक 28.06.2023 व विभाजन शुल्क के रूप में रुपया 1000/- बालान संख्या FQ 13 दिनांक 28.06.2023 को दाखिल किया गया है।
- 5- चूंकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अर्न्तगत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क व न्याय शुल्क जरिये बालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा किया गया है।
- 6- इस उद्घोषणा में भूमि पर अकृषिक गतिविधियों विद्यमान होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकेरे की माँग नहीं करेगा इस सम्बन्ध में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नहीं माना जायेगा। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना एवं मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।
- 9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहसातेदार हैं जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न है।
अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम अमरसन्धा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00072 की गाटा संख्या 1123 रकबा 0.7598 हे० मू०रा० 18.75 रुपया को कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ०प्र०राजस्व संहिता-2006 के अर्न्तगत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार फतेहपुर द्वारा संस्तुति संहिता प्रेषित की गयी है। तहसीलदार फतेहपुर की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का रकबा 0.7598 हे० गैरकृषिक घोषित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अर्न्तगत गैरकृषिक भूमि प्रस्तावित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम अमरसन्धा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की खतीनी फ० वर्ष 1429-1434 की खाता संख्या 00072 पर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता पुत्र रामलखन निवासी 4/1068 बी विकासनगर लखनऊ व प्रबन्धक श्रीमती माया आनन्द चर्च मवावती देवी पत्नी बी०एल० गुप्ता निवासी 8/340 विकासनगर लखनऊ द्वारा संचालित ट्रस्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोशल फाउन्डेशन संस्थित में एम्स फाउन्डेशन पंजीकृत कार्यालय 8/340 विकासनगर जनपद लखनऊ के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित भूमि गाटा संख्या 1123/0.7598 हे० मू०रा० 18.75 रुपया को धारा-80(2) उ०प्र०राजस्व-2006 के अर्न्तगत गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आवेदकगणों को धारा 80(2) उ०प्र०राजस्व-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरुद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उ०प्र०राजस्व-2006 की धारा-82 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली संधित अभिलेखागार है।

दिनांक-

(578)

(डा०) साधिन कुमार वर्मा
उपजिलाधिकारी
फतेहपुर-बाराबंकी
26/6/23

कायालय उप जिलाधिकारी
माराध गुजरने दरखास्त नकल 30-6-23
माराध नकल तपारी 01-07-23
तपारद कोर्ट फॉर्म 3-7-23
तपारद नकल 4608 (65 नमो म)
रक्तक्षण नकल नवीन...
तपारद देने नकल... 07-23

राज्य प्रतिनिधि
उपजिलाधिकारी
फतेहपुर, बाराबंकी